QSI ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

PARAG

PARAG FANS & COOLING SYSTEMS LTD.

CIN: U51102MP1991PLC006760

Date: 10/09/2021

To,
The Metropolitan Stock Exchange of India Ltd (MSEI)
Vibgyor Towers, 4th Floor,
Plot No C 62, G-Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra- Kurla Complex,
Mumbai 400098

Dear Sir/Madam,

Subject- Intimation of Newspaper Publication of Notice of AGM, E-Voting and Book Closure Date

In Compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2016 the advertisement dated 10th September, 2021 was published in "स्वदेश" and "THE ECONOMIC TIMES" edition in Hindi and English circulating at the registered office of the Company for intimating the Following-

1. Annual General meeting to be held on Thursday dated: 30th September, 2021, time: 04:00 P.M and Venue: 1/2 & 1B/3A Industrial Area No. 1 A B Road Dewas MP 455001 IN for the Financial Year 2020-2021.
2. E-voting shall commence on Monday, 27th September, 2021 at 9.00 A.M and shall end on Wednesday, 29th September, 2021 at 5.00 P.M.
3. Book Closure Date- Share transfer book of the Company shall remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive).

Thanking you,
Yours Faithfully,

FOR PARAG FANS AND COOLING SYSTEMS LIMITED

Parag Fans & Cooling Systems Ltd. DEWAS (M.P.) DEWAS

Mr. UMESH NAMBIAR
Whole Time Director
DIN: 02566355

Regd. Office and Works:
Plot no. 1/2B & 1B/3A, Industrial Area No. 1, A. B. Road, Dewas-455 001 (M.P.)India,
Ph: ++91-7272-425100, 425102 Fax: ++91-7272-400273

अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से आवंटित की गई है।

लेकर अभी भी लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं कि उनकी कॉलोनी में मच्छरों का प्रकोप कब खत्म होगा। निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया विभाग के साथ मिलकर

है, वहीं मच्छरों के प्रकोप के लिए फॉगिंग मशीन के जरिये धुआं उड़ाने की भी बात कही है। दूसरी ओर नंदबाग, बाणगंगा, दशरथ बाग, शीतल नगर, प्रताप नगर,

मोतीतबेला, हरसिद्धि, आदि क्षेत्र में लोगों का निकलना मुश्किल हो

पूर्व भागीदार को हिसाब लेने का हक नहीं

पार्टनर का दावा खारिज

इंदौर ● स्वदेश समाचार

20 वर्ष पूर्व बनी एक पार्टनरशिप फर्म में भागीदारों के आपसी विवाद होने पर फर्म से हट चुकी पार्टनर द्वारा हिसाब किताब मांगने, विघटन की घोषणा करने और हिस्सा मांगने का दावा ए.डी.जे. कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मामले में प्रतिवादी पारस माखीजानी व उसकी मां रजनी सहित अन्य भागीदारों और भागीदारी फर्म माखीजानी एक्सपोर्ट के विरूद्ध उसी फर्म की पार्टनर रही सुलोचना माखीजानी द्वारा 8 साल पूर्व प्रस्तुत दावा विचारण के पश्चात न्यायालय ने खारिज कर दिया। प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता के.पी. माहेश्वरी के अनुसार वादी सुलोचना ने यह दावा किया था कि वह पार्टनरशिप फर्म माखीजानी एक्सपोर्ट की 2002 से भागीदार है उसका फर्म की सभी संपत्तियों, लाभ और ख्याति में 30 प्रतिशत का हिस्सा है। फर्म पर अन्य भागीदारों ने कब्जा कर लिया है और पार्टनरशिप के दस्तावेज, अकाउंट्स, टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट सहित स्टेट बैंक के जमा के विवरण संपत्तियों के ब्यौरे उसे नहीं दे रहे है, इसलिए न्यायालय फर्म व उसके अन्य भागीदारों को आदेश देकर सब दस्तावेज और प्राफिट शेयर वादी को दिलाए तथा फर्म के समानांतर चलाए जा रहे उनके व्यवसाय को बंद करवाए।

अपर जिला न्यायाधीश केशवमणी सिंहल की कोर्ट ने फैसला दिया कि दावा दिनांक को वादी सुलोचना फर्म की भागीदार नहीं थी। इस कारण वह किसी भी अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, फर्म की संपत्तियों के ब्यौरे ऑडिट रिपोर्ट किसी दस्तावेज को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वर्षों पूर्व बंद हो चुकी फर्म के विघटन या फिर से बंद करने की कोई घोषणा न्यायालय नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी सिद्ध नहीं पाया कि प्रतिवादीगण आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में फर्म माखीजानी एक्सपोर्ट के बैंक खाते या रकम का दुरूपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने सुलोचना पति रमेश माखीजानी अमितेश नगर नई सब्जी मंडी इंदौर का दावा खर्चे सहित खारिज करते हुए प्रतिवादी पारस, रजनी व रूचि माखीजानी को दावे में हुए खर्चे की भरपाई भी उसी को करने के आदेश दिए।

नेशनल लोक अदालत के तहत प्रकरणों में निराकरण के लिए 66 खण्डपीठों का गठन

कई प्रकरणों का होगा निपटारा

इंदौर ● स्वदेश समाचार

इंदौर जिले में लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण के लिए 11 सितम्बर को जिला और सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। यह लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में होगी।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिला और तहसील न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 66 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय में कुल 50 खण्डपीठों का, आम्बेडकर नगर तहसील के लिए 9 खण्डपीठों का, सांवेर तहसील न्यायालय में 2 खण्डपीठों का, देपालपुर तहसील हेतु 4 खण्डपीठों का एवं हातोद तहसील न्यायालय में एक खण्डपीठ का, इस तरह इन्दौर के लिए 11 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 66 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में ऐसे राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा जाएगा, जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना हो, ऐसे पक्षकारों को लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा समझाईश दी जाएगी। समझाईश के फलस्वरूप यदि पक्षकारों के मध्य राजीनामे की सहमति बनती है, तो पक्षकारों के मध्य तय शर्तों के अनुसार राजीनामा लोक अदालत की गठित खण्डपीठ द्वारा किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न बैंकों एवं फायनेंस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी समझौते के आधार पर लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा निराकरण किया जाएगा।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील जूनी इंदौर, जिला इंदौर

क्रमांक 1010/रीडर/2021 इंदौर, दिनांक 31/08/2021

उद्घोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयदीप हार्डिया पिता स्व. सुदामा हार्डिया निवासी - 10/1 नवलखा इंदौर द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम पालदा स्थित सर्वे क्रमांक 276 रकबा 2.047 हेक्टेयर में से 0.506 हेक्टेयर भूमि खातेदार मृतक रामरतन पिता स्व. देवीदीन हार्डिया के नाम दर्ज है। रामरतन पिता स्व. देवीदीन हार्डिया की मृत्यु दिनांक 21/02/2021 को हो जाने से आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर मृतक के वारिस का नामांतरण किए जाने हेतु निवेदन किया है। अतः आवेदित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किए जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस न्यायालय में पेशी दिनांक 15.09.2021 तक प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

आर.सी.एम.एस. प्रकरण क्रमांक 0173/अ-6/2021-22

नायब तहसीलदार
तहसील जूनी इंदौर (म.प्र.)

पराग फैन्स एंड कूलिंग सिस्टम्स लिमिटेड

(सीआईएन: U51102MP1991PLC006760)

पंजीकृत कार्यालय और वर्कस: प्लॉट नं. 1/2बी और 1बी/3ए, इंडस्ट्रियल एरिया नं. 1, ए.बी. रोड, देवास-455 001 (म.प्र.) भारत,
फोन: +91-7272-425100, 425102 फैक्स: +91-7272-400273

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद द्वारा सुचना दी जाती है की कंपनी के सदस्यों की तीसवी साधारण सभा ए.जी.एम. गुरूवार, 30 सितंबर, 2021 को अपराह्न 04:00 बजे पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 1/2 बी और 1 बी/3 ए, औद्योगिक क्षेत्र संख्या 1, एबी रोड, देवास (एम.पी.) में आयोजित होगी, जो उक्त सभा की दिनांक 01 सितम्बर 2021 को प्रेषित सूचना मे दिए अनुसार कार्यवाही सपन्न होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट बैठक आयोजित करने वाली सूचना सहित सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर पोस्ट/कूरियर द्वारा भेजा गया है, और उन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है जिन्होंने जमाकर्ताओं/कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है।

कहा गया एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (paragfans.com) पर उपलब्ध है और सभा की तारीख तक व्यवसाय के घंटों के दौरान सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

आगे सूचित किया जाता है कि सदस्यो का रजिस्टर तथा कंपनी का शेयर स्थानान्तरण खाता शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 से गुरूवार, 30 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनियां (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोटों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। - सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाने वाली मतदान सेवाएं, नोटिस में बताए गए सभी प्रस्तावों पर ई-मतदान अवधि 27.09.2021 प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और 29.09.2021 सायं 5:00 बजे पर समाप्त होगी स उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम किया जाएगा। एक बार प्रस्ताव पर मतदान सदस्य द्वारा डाला जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का मतदान अधिकार 23.09.2021 की कटऑफ तिथि के रूप में भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात में होगा। ई वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना और सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को ईमेल संचार के साथ-साथ सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

एक सदस्य मतदान के केवल एक मोड का चयन कर सकता है, जो कि एजीएम में ई-वोटिंग या मतपत्र के माध्यम से होता है। यदि कोई सदस्य दोनों तरीकों से वोट देता है, तो मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को मान्य माना जाएगा और मतपत्र को अमान्य माना जाएगा।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायतों के मामले में, सदस्य, उमेश नांबियार कंपनी के निदेशक से ईमेल आईडी info@paragfans.com या मोबाइल नंबर पर 9993027021 पर संपर्क कर सकते हैं:

कृते पराग फैन्स एंड कूलिंग सिस्टम्स लिमिटेड
हस्ता/-
उमेश नांबियार
(पूर्णकालिक निदेशक)
DIN:02566355

तिथि: 07.09.2021
स्थान: देवास

'One Dose 96% Effective in Preventing Death'

Health min findings based on analysis of data from April to Aug

Our Bureau

New Delhi: One dose of vaccine is 96.6% effective in preventing death and two Covid shots 97.5% effective, the ministry of health and family welfare data on vaccination released on Thursday showed.

The Centre released the data after analysing deaths, vaccination coverage and breakthrough infections from April till August.

The ministry of health and family welfare will aggregate this data and put it on "Covid Tracker", which will be online soon.

Vaccination prevents deaths, said the government, adding that new data showed most deaths in the devastating second wave of Covid-19 in April-May were recorded among the unvaccinated. The government said breakthrough infections — or infections among the fully vaccinated — do happen, but asserted that they do not result in mortality and account for an extremely low level of hospitalization.

The data shows that one shot of Covid-19 vaccine is 96.6% effective in preventing death. This efficiency becomes better as it increases to 97.5% with both vaccines. "Vaccination is the most important shield against the virus," said VK Paul, Niti Aayog member (health). The Centre exhorted the people to take both doses of vaccines. Secretary (health) Rajesh Bhushan said the pace of vaccination has increased manifold over the last three months.

'India won't Supply Jabs to Covax Until All Adults are Vaccinated'

Teena.Thacker
@timesgroup.com

New Delhi: India has decided not to share Covid vaccines with the rest of the world through the international vaccine alliance spearheaded by the World Health Organization and Gavi, Covax, till all the adults are immunised in the country, people in the know told ET. In March, India imposed a hold on all major exports of Covid vaccines affecting deliveries to the Covax facility.

Pune-based Serum Institute of India (SII), the world's largest vaccine manufacturer, was the major supplier to Covax. In May this year, when Covid cases started to surge in India, SII CEO Adar Poonawalla had said that the SII will continue to scale up vaccine manufacturing and prioritise India.

However, he hoped to restart delivering doses to Covax and other countries by the end of 2021.

PARAG FANS & COOLING SYSTEMS LTD.
(CIN: U51102MP1991PLC006760)
Regd. Office and Works: Plot no. 1/2B & 1B/3A, Industrial Area No. 1, A. B. Road, Dewas-455 001 (M.P.)India,
Ph : +91-7272-425100, 425102 Fax : +91-7272-400273

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting of the members of PARAG FANS AND COOLING SYSTEMS LIMITED will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 04:00 P.M. at Registered office Plot No. 1/2B & 1B/3A, Industrial Area No.1, AB Road, Dewas (MP) to transact the business as set out in the notice of AGM sent as on 01st September, 2021.

The Integrated Annual Report for the financial year 2020-21 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by post/courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

The said Integrated Annual Report is available on the Company's website (paragfans.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Meeting.

NOTICE is also hereby given that the register of members and share transfer books of the Company will remain close from Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive).

In Compliance with section 108 of the companies Act, 2013, Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes electronically through e- voting services provided by CDSL, on all resolutions set forth in the Notice. The e-voting period commences on 27/09/2021 at 9:00 A.M. and Ends on 29/09/2021 at 5:00 P.M. The E voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of members shall be in proportion to their share of Paid up equity share capital as on the cutoff date of 23/09/2021. The procedure for e voting is available in the Notice of AGM and email communication to the members by CDSL as well as on the website of CDSL www.evotingindia.com.

A member can opt for only one mode of voting, that is either through e-voting or ballot at the AGM. If a member casts votes by both modes, the voting done through e voting shall prevail and ballot shall be treated as invalid.

In case of any queries or grievances regarding e- voting, the members may contact: Mr. UMESH NAMBIAR, Wholetime Director of the Company at email id: info@paragfans.com and Contact No. 9993027021

For **PARAG FANS AND COOLING SYSTEMS LIMITED**
Sd/-
UMESH NAMBIAR
(Wholetime Director)
DIN : 02566355

Date: 07.09.2021
Place: Dewas

urthi SPECIAL
TIMES interact
Connecting People, Connecting Needs.
CONSUMER CONNECT INITIATIVE

combination of this season, *dhoti* pants | heavy neckpiece will do the trick and make | go for the traditional *kurta* look and glam it | together. Very urbane and well suited for men